राजस्थान सरकार
आपदा प्रबंधन एवं सहायता विभाग

बैठक का कार्यवाही विवरण

राज्य कार्यकारी समिति (State Executive Committee) की बैठक दिनांक 27.10.07 को प्रातः 11.30 बजे मुख्य सचिव महोदय की अध्यक्षता में उनके सचिवालय स्थित कक्ष में आयोजित की गयी। जिसमें निम्न लिखित अधिकारियों ने भाग लिया:–

1. प्रमुख शासन सचिव, आ0प्र0एवं सहायता विभाग
2. प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग
3. प्रमुख शासन सचिव, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग
4. श्री गोपाल लाल शर्मा, उप सचिव, प्रतिनिधि प्रमुख शासन सचिव, वित्त

बैठक में निम्नानुसार निर्णय लिये गयेः–

1. जिला कलक्टर्स को दिनांक 24.10.07 तक राशि रू0 15225.10 लाख रूपये का आंवटन किया गया है। जिसका मदवार विवरण निम्नानुसार हैः–

क्र.सं.	नाम मद	राशि लाखों में
1.	मानवीय चिकित्सा	535.00
2	पशु चिकित्सा	545.00
3.	पी.डब्ल्यू.डी की सड़कों की मरम्मत	5629.50
4.	जल संसाधन विभाग के कार्य	802.70
5.	पंचायती राज विभाग के कार्य	528.78
6.	पी.एच.ई.डी.के क्षतिग्रस्त कार्य	767.00
7.	विद्युत वितरण निगम के क्षतिग्रस्त कार्य	415.58
8.	सरकारी कार्यालय भवनों की मरम्मत	134.33
9.	नगर पालिका/परिषद/निगम के क्षतिग्रस्त कार्य	3328.96
10	कृषि विपणन बोर्ड के क्षतिग्रस्त कार्य	855.93
11.	घरों की मरम्मत	835.55
12.	कृषि आदान अनुदान	47.50
13.	अनुग्रह सहायता	328.51
14.	सर्च एवं रेस्क्यू	446.06
15.	वन विभाग के क्षतिग्रस्त कार्य	24.70
	योगः–	15225.10

उपरोक्त राशि 15225.10 लाख रूपये के आवंटन का समिति द्वारा अनुमोदन किया गया तथा मुख्य सचिव महोदय ने निर्देश दिये कि राशि का व्यय सी.आर.एफ. नोर्म्स के अनुसार ही किया जावे।

2. जिला कोटा के भंवरकुंज नाले में तेज वर्षा से आये पानी के बहाव से बहे दो व्यक्तियों को बचाने के लिए फंसे एक व्यक्ति को वायु सेना के हेलीकाप्टर से बचाया गया। बचाव के दौरान हेलीकाप्टर में ईंधन खत्म हो जाने के कारण वह जोधपुर नहीं जा सका, इसलिए उसमें इण्डियन ऑयल कार्पोरेशन, जयपुर से कोटा ईंधन पहुंचाकर भराया गया, तत्पश्चात हेलीकाप्टर जोधपुर पहुंचा। इस ईंधन एवं परिवहन व्यय की राशि 80,514 रूपये का बिल प्राप्त हुआ है, जिसका भुगतान किये जाने की सहमति प्रदान की गयी।

3. वर्ष 2007 के दौरान बाढ़/अतिवृष्टि के सर्वे एवं फंसे हुए व्यक्तियों को बचाने के लिए, फूड पैकेट गिराने आदि के लिए जोधपुर, पाली, बाड़मेर, कोटा में हेलीकाप्टर की सेवायें ली गयी हैं। इन हेलीकाप्टरों के बिलों का भुगतान किये जाने की सहमति प्रदान की गयी।

4. राज्य में अकाल एवं पेयजल की स्थिति की समीक्षा की गयी तथा यह निर्णय लिया गया कि पेयजल कमी वाले क्षेत्रों को चिन्हित किया जाकर कन्टेजेन्सी प्लान बनाया जाकर उसके अनुसार कार्यवाही की जावे।

5. SDMA की दिनांक 15.10.07 की बैठक में लिये गये निर्णयों की अनुपालना पर चर्चा की गयी।

तत्पश्चात बैठक सधन्यवाद समाप्त की गई।

प्रमुख शासन सचिव

क्रमांक एफ.1(1)( )आ0प्र0एवं सहा0/सामान्य/07/21675-81 जयपुर, दिनांक 30.X.07

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. निजी सचिव, मुख्य सचिव
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, आ.प्र.एवं सहायता
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, वित्त
4. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग
5. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव जन स्वा.अभि.विभाग
6. समस्त अधिकारीगण, आ.प्र.एवं सहायता
7. बाढ़ शाखा एवं लेखा शाखा, आ.प्र.एवं सहायता विभाग

शासन उप सचिव
29/X/07